न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया

<u>दिवानी वाद संख्या– 33/18</u>

लखिया देवी......................वादी

बनाम

भगवान पासवान वगैरह.....................प्रतिवादीगण

<u>26/08/19</u> वादी की ओर से हाजिरी दी गई, प्रतिवादी मध्यक्षेपक विमला देवी की ओर से समय का आवेदन पत्र दाखिल किया गया, वाद आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया आवेदक विमला देवी की ओर से दिनांक– 21/12/2018 को एक आवेदन पत्र U/o- 01 Rule- (10)(2) और 151 c.p.c अंतर्गत दाखिल कर प्रार्थना किया गया कि प्रस्तुत वाद के वादी द्वारा जाली कागजात प्रस्तुत कर यह वाद लाया गया है जब कि आवेदिका विमला देवी जमीन की खरीददार है। जो नरेश महतो से जमीन खरीदी है जिसका निबंधन दिनांक– 16/09/1981 तौजी नं0– 1265, थाना नं0– 625, खाता नं0– 1063, खेसरा नं0– 4862, 4864 एवं 4903 कुल रकवा 14 कट्ठा 12 धूर है। खरीददार विमला देवी निबंधन के तारीख से ही स्वतः दाखिल कब्जा में चली आ रही है एवं वे समय पर अंचल कार्यालय लगान रशीद भी जमा कर रही है। आवेदिका द्वारा यह भी कथित किया गया है कि अंचला अधिकारी सा0कमाल द्वारा भी उनके पक्ष में एल.पी.सी निर्गत किया गया है। अतः आवेदक का नाम वाद पत्र मध्यक्षेपक प्रतिवाद द्वितीय पक्ष के रूप में सम्मलित किया जाएं। आवेदन के विरोध में वादी की ओर से दिनांक– 01/04/2019 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा गया कि आवेदिका विमला देवी को आवेदन दिनांक– 21/12/2018 न्यायहित में ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि विवादित स्थल की खरीदगी वादिनी दिनांक– 22/02/1983 को मसोमात प्रकलरा देवी से की थी तथा अभी तक उसकी दाखिल कब्जे में हैं। अतः आवेदिका मध्यक्षेपक का आवेदन दिनांक– 21/12/2018 को खारिज किया जाएं। आवेदन प्रतिउत्तर पर उभयपक्षों को पूर्व में सुना जा चुंका है।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि मध्यक्षेपक आवेदक का कथन है कि आवेदक ने नरेश महतो से निबंधित केवाला दिनांक– 16/09/1981 में मौजा– सनहा, तौजी नं0– 1265, थाना नं0– 625, खाता नं0– 1063, खेसरा नं0– 4862, 4864, 4903 एराजी 14 कट्ठा 12 धूर की जमीन खरीद किए हैं एवं आवेदक विमला देवी ने अपने नाम से दाखिल खारिज भी किया है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में उपरोक्त केवाला का राजस्व रशीद भी दाखिल किया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मघ्यक्षेपक आवेदक को इस वाद का आवश्यक पक्षकार है। अतः मध्यक्षेपक का आवेदन दिनांक– 21/12/2018 स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र में मध्यक्षेपक विमला देवी का नाम प्रतिवादी के कॉलम में जोड़े। वाद दिनांक– 17/09/2019 वास्ते आदेश अनुपालन हेतु।

लेखापित

अ0 मुख्य न्या0 दण्डा0, बलिया